



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.10.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 'आपकी पुलिस आपके द्वार' अभियान के अंतर्गत घर-घर पहुंचकर नागरिकों से किया गया संवाद, जनसमस्याओं के समाधान का दिया भरोसा एवं 'महिला सुरक्षा सम्बन्धी भव्य सम्मान/जागरूकता कार्यक्रम'

आज दिनांक 12.10.2026 को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा 'आपकी पुलिस आपके द्वार' अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक थाने के पुलिसकर्मियों ने अपने-अपने थाना क्षेत्र में घर-घर पहुंचकर नागरिकों से मुलाकात की, उनका कुशलक्षेम जाना तथा उनकी समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पुलिस सेवा को आम नागरिकों के घर-घर तक जाकर उनके दरवाजे पर ही सेवा प्रदान करना। कोई भी व्यक्ति अपनी कोई समस्या होने पर पुलिस स्टेशन जाकर विधिक कार्यवाही हेतु सम्पर्क करता है। इस अभियान के अन्तर्गत थाना क्षेत्र के परिवारों के बीच खुद उनके दरवाजे पर जाकर सम्पर्क करते हुए समस्याएँ पूछी गईं। इस अभियान के अन्तर्गत ऐसे सभी लोगों को बड़ी राहत मिली जो किन्हीं कारणों से थाने पर जाकर अपनी समस्या बताना नहीं चाहते थे या जाने में अक्षम थे। इस अभियान के माध्यम से "आपकी पुलिस आपके द्वारा" की संकल्पना पूर्ण की गई।

अभियान के दौरान कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों की पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक जनसंपर्क किया गया। इस क्रम में पुलिसकर्मियों ने नागरिकों के घरों पर पहुंचकर उनसे सीधे बातचीत की तथा उनकी दैनिक समस्याओं एवं स्थानीय स्तर पर आने वाली कठिनाइयों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अभियान के अंतर्गत **करीब 10,000 नागरिकों** से संपर्क कर संवाद स्थापित किया गया तथा उनकी समस्याओं एवं सुझावों से अवगत हुआ गया। साथ ही पुलिसकर्मियों द्वारा नागरिकों को आश्वस्त किया गया कि उनकी शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा।

'आपकी पुलिस आपके द्वार' अभियान के दौरान नागरिकों को बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या, शिकायत अथवा असुविधा होने पर वे पुलिस को मौखिक या लिखित रूप में अवगत करा सकते हैं। पुलिसकर्मियों ने आमजन को पुलिस के साथ संवाद बनाए रखने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा कानून-व्यवस्था से संबंधित समस्या की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया। इस पहल के माध्यम से पुलिस ने नागरिकों के साथ सीधे संपर्क स्थापित कर उनकी बात सुनी और उन्हें पुलिस की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रति आश्वस्त किया।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में थानास्तर पर "महिला सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन" किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में उनके योगदान को प्रोत्साहित करना रहा। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को आमंत्रित कर उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम में महिला पुलिसकर्मियों, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विषयों पर जागरूकता का संदेश दिया गया। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। कार्यक्रम के माध्यम से **महिला सम्मान, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता एवं सशक्तिकरण का संदेश प्रसारित** किया गया।

कमिश्नरीट गाजियाबाद पुलिस द्वारा इस अभियान के माध्यम से पुलिसिंग को अधिक जनोन्मुखी एवं संवेदनशील बनाने, आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनने तथा पुलिस और जनता के बीच आपसी विश्वास एवं सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। घर-घर पहुंचकर नागरिकों से संवाद स्थापित करने की यह पहल जनसहभागिता को मजबूत करने और सुरक्षित वातावरण के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कमिश्नरीट गाजियाबाद पुलिस आमजन की सुरक्षा, सहायता एवं समस्याओं के नियमानुसार निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस का उद्देश्य नागरिकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखते हुए उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना तथा पुलिस-जन सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाना है।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा बन्द घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 गले का हार पीली धातु, 01 गले की चैन पीली धातु, 02 गले के हार पीली धातु आर्टिफिसियल, 02 कान के टाप्स पीली धातु आर्टिफिसियल, 03 पायल सफेद धातु, 01 हाथ की घड़ी (टाइटन कम्पनी), 03 मेडल व घटना में प्रयुक्त 01 स्प्रिंग दार रिच बरामद।

दिनांक 09.10.2026 को थाना शालीमार गार्डन पर वादिया श्रीमती सुशीला शर्मा पत्नी श्री रामसेवक निवासी ए-1/102/एस -1 डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे घर का ताला तोड़कर सोने चाँदी के आभूषण चोरी कर लिया गया है। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर धारा 331(3)/305(a) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान आज दिनांक 12.10.2026 को उक्त घटना को कारित करने वाला शातिर अभियुक्त चाँद नबी पुत्र शाहबुद्दीन नि0 मकान नं0 ई-44/ a- 347 नई सीमापुरी दिल्ली वर्तमान नि0 ईदगाह कालोनी 25 फुटा रोड अशालतपुर फरखनगर टीलामोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को शौचालय कट डीएलएफ गेट के पास थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 गले का हार पीली धातु, 01 गले की चैन पीली धातु, 02 गले के हार पीली धातु आर्टिफिसियल, 02 कान के टाप्स पीली धातु आर्टिफिसियल, 03 पायल सफेद धातु, 01 हाथ की घड़ी (टाइटन कम्पनी), 03 मेडल व घटना में प्रयुक्त स्प्रिंग दार रिच बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त चाँद नबी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ौतरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त चाँद नबी उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ, नशे की पूर्ति के लिये बन्द घरों का ताला तोड़कर चोरी करता हूँ। मुझसे बरामद 01 गले का हार पीली धातु, 01 गले की चैन पीली धातु, 02 गले के हार पीली धातु आर्टिफिसियल, 02 कान के टाप्स पीली धातु आर्टिफिसियल, 03

पायल सफेद धातु, 01 हाथ की घड़ी (टाइटन कम्पनी), 03 मेडल उक्त सामन को दिनांक 07.10.2026 को डीएलएफ शालीमार गार्डन से एक फ्लैट के स्प्रिंग दार रिंच के द्वारा घर का ताला तौड़कर चोरी किया था। उक्त सामान को बेचने की फिराक में शौचालय कट डीएलएफ गेट के आस- पास घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

चाँद नबी पुत्र शाहबुद्दीन नि0 मकान न0 ई-44/ a- 347 नई सीमापुरी दिल्ली वर्तमान नि0 ईदगाह कालोनी 25 फुटा रोड अशालतपुर फरुखनगर टीला मोड गा0बाद उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 गले का हार पीली धातु, 01 गले की चैन पीली धातु, 02 गले के हार पीली धातु आर्टिफिसियल, 02 कान के टाप्स पीली धातु आर्टिफिसियल, 03 पायल सफेद धातु, 01 हाथ की घड़ी (टाइटन कम्पनी), 03 मेडल व घटना में प्रयुक्त 01 स्प्रिंग दार रिंच बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधित इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त चाँद नबी के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी व नकबजनी के 02 अभियोग, दिल्ली के भिन्न-भिन्न थानों पर चोरी के 05 अभियोग व नकबजनी के 10 अभियोग कुल 17 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 12.10.2026 को शान्ति व्यवस्था चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति चोरी की एक मोटर साइकिल के साथ मुखर्जी पार्क के पास खड़े हैं तथा उसे ले जाने की बात कर रहे हैं वे चोर हैं जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। जब हम चेकिंग करते हुए मुखर्जी पार्क के पास पहुंचे तो हम पुलिस वालों को अपनी ओर आता देख खड़े व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठकर भागने लगे। अभियुक्तगण 1. धर्मेन्द्र पुत्र श्री धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम जसर थाना जहांगीराबाद जिला बुलंदशहर उम्र 44 वर्ष व 2. राहुल पुत्र प्रदीप निवासी मकान नंबर 63 सदर बाजार थाना सदर मेरठ उम्र 42 वर्ष को मुखर्जी पार्क के पास से चौकी औद्योगिक क्षेत्र कमि0 गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो बताया कि उक्त बरामदा मोटरसाइकिल हीरो होंडा पेशन रजिस्ट्रेशन नंबर UP86L6157, 8 साल पहले 5000 में चोरी की खरीदी थी।

बरामदगी :-

- 01 मोटर साइकिल हीरो होंडा पेशन रजिस्ट्रेशन नंबर UP86L6157

अभियुक्त का नाम पता-

1. धर्मेन्द्र पुत्र श्री धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम जसर थाना जहांगीराबाद जिला बुलंदशहर उम्र 44 वर्ष

2. राहुल पुत्र प्रदीप निवासी मकान नंबर 63 सदर बाजार थाना सदर मेरठ उम्र 42 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

राहुल पुत्र प्रदीप

- अभियुक्त के खिलाफ कमि0 गाजियाबाद में चोरी के 2 मुकदमें पंजीकृत हैं।
- जनपद मेरठ में चोरी के 20 मुकदमें, आर्म्स एक्ट के 3 मुकदमें, गैंगेस्टर का एक मुकदमा, धोखाधड़ी का 2 मुकदमा, महिला सम्बन्धित 01 मुकदमा पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

थाना कविनगर पुलिस टीम जनपद गाजियाबाद

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.10.2026 को थाना लोनी पर वादी समीम अहमद पुत्र ईशाक निवासी अशोक विहार लोनी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त दिलशाद पुत्र इरशाद द्वारा वादी के बेटे नदीम के ऊपर जान से मारने की नियत से कैंची से हमला करना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 12.10.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दिलशाद पुत्र इरशाद निवासी ग्राम ननौता थाना ननौता जिला सहारनपुर हाल पता इकराम नगर थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त कैंची बरामद की गयी, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त दिलशाद ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 08.10.2026 को रुपनगर फैक्ट्री में ठेकेदार नदीम से अपने काम के रुपये लेने गया था लेकिन ठेकेदार नदीम ने कहा कि तूने लोवरो की कटिंग खराब की थी तो तेरे रुपये नही दूंगा, इसी बात को लेकर हम दोनों में झगडा हो गया और मैंने उसे मारने के लिये कैंची उठा ली, मैंने जैसे ही उसके सिर पर वार किया तो उसने अपना हाथ लगा दिया, जिस कारण ठेकेदार के हाथ में कैंची लग गयी थी और मेरे हाथ में भी कैंची लग गयी थी। उसके बाद मैंने कैंची छीनकर ठेकेदार नदीम के पेट में घोंप दी थी। ठेकेदार नदीम के पेट से ज्यादा खून निकलने के कारण मैं उस कैंची को साथ लेकर मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दिलशाद पुत्र इरशाद निवासी ग्राम ननौता थाना ननौता जिला सहारनपुर हाल पता इकराम नगर थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 834 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 12.10.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त 1.मजहर पुत्र शराफत अली 2. अब्दुल वारिक उर्फ इकबाल पुत्र अब्दुल अहद को अवैध गांजा के साथ निठौरा रोड थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 किलो 834 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम यह गांजा कम दामों में खरीदकर छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर राह चलते लोगों को अधिक दामों में बेच देते हैं जिससे अपने शौक पूरे करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1.मजहर पुत्र शराफत अली निवासी गौरी पट्टी राशिद गली गेट के पास थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष।
2. अब्दुल वारिक उर्फ इकबाल पुत्र अब्दुल अहद मूल निवासी ग्राम जमालपुर जिला दरभंगा बिहार हाल पता निठौरा रोड थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 किलो 834 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त मजहर के विरुद्ध पूर्व में 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट, 02 अभियोग आयुध अधिनियम व 01 अभियोग विद्युत अधिनियम का थाना लोनी पर पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम ।